तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कम 8, जयपुर महानगर प्रथम** **पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) आपराधिक निगरानी संख्या – 20/2026 सी आई एस नंबर – 211/2026 सीएनआर नंबर – RJJM010147452026 नितेश पाटनी बनाम राज0 राज्य व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.07.2026	निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक – 31.01.2026, द्वारा न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन आई एक्ट प्रकरण) कम 09, जयपुर महानगर प्रथम, बसिलसिले प्रकरण संख्या – 7175/2023, उनवानी नितेश पाटनी बनाम मधु जैन, में पारित किया गया। ———————————————————————— निगरानीकर्ता/परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री ए0 के0 गुप्ता उपस्थित। अप्रार्थी/गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 राज0 राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2025 को निगरानीकर्ता/परिवादी की अनुपस्थिति एवं तलवाना पेश नहीं किये जाने के कारण परिवाद खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। बहस निगरानी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगानीकर्ता/परिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि परिवादी द्वारा धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अपराध बाबत अभियुक्त के विरूद्ध विद्वान विचारण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर पेशी 10.10.2023 नियत की गई। जिस पर परिवादी द्वारा विद्वान विचारण के आदेश के अनुसरण में सम्मन तलवाना प्रस्तुत कर दिये गये। कालान्तर में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जरिये जमानती वारण्ट तलब करने का आदेश दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा तलवाना प्रस्तुत कर दिया गया, जिस पर अभियुक्त का जमानती वारण्ट जारी कर संबंधित थाने को भिजवा दिया गया। इस प्रकार परिवादी की ओर से कई तारीख पेशियों पर तलवाना प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को गिरफ्तारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 8, जयपुर महानगर प्रथम** **पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) आपराधिक निगरानी संख्या – 20/2026 सी आई एस नंबर – 211/2026 सीएनआर नंबर – RJJM010147452026 नितेश पाटनी बनाम राज0 राज्य व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वारण्ट से तलब करने का आदेश फरमाया। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 29.10.2025 को पत्रावली न्यायालय में पेश नहीं हुई व अधिवक्ता परिवादी को कहा गया कि आप बाद में आकर तारीख का पता कर लें। अधिवक्ता परिवादी द्वारा मालुम करने पर न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि पत्रावली नहीं मिल रही है, पत्रावली मिलते ही आपको सूचित कर देंगे, लेकिन अधिवक्ता परिवादी को इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई। तदोपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादी का परिवाद धारा 204(4) दं0 प्र0 सं0 के तहत तलवाना पेश नहीं करने के कारण खारिज कर दिया, जो उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। परिवादी द्वारा प्रकरण में समय समय पर तलवाना पेश किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादी का परिवाद खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अन्त में निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने व वांछित अनुतोष प्रदत्त किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अपर लोक अभियोजक को भी सुना गया। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.01.2026 को पत्रावली तलबी अभियुक्त/गैरनिगरानीकर्ता के स्तर पर लंबित थी, जिसमें अभियुक्त की तलबी नहीं हो पायी थी। ऐसी स्थिति में गैरनिगरानीकर्ता को तलब नहीं करते हुये हस्तगत निगरानी को इसी स्तर पर गुणावगुण पर अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी याचिका में दिये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुये हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 8, जयपुर महानगर प्रथम** **पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) आपराधिक निगरानी संख्या – 20/2026 सी आई एस नंबर – 211/2026 सीएनआर नंबर – RJJM010147452026 नितेश पाटनी बनाम राज0 राज्य व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 31.01.2026 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित रहे प्रकरण संख्या 7175/2023, नितेश पाटनी बनाम मधु जैन, को इस शर्त के साथ रेस्टोर किये जाने का आदेश दिया जाता है कि निगरानीकर्ता/परिवादी नितेश पाटनी आगामी पेशी दिनांक 03.08.2026 को आदेशिका शुल्क/तलवाना प्रस्तुत कर देगा एवं भविष्य में भी विचारण में विधिअनुसार वांछित पर्याप्त सहयोग करता रहेगा। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को सूचनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 16.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है, अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर रहे। (बृजेश कुमार) अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–8, जयपुर महानगर प्रथम	